कार्यालय जिला पंचायत बैतूल

क्र./2011–12/जि.पं./एस.जी.एस.वाय./950 बैतूल, दिनांक 13.05.2011

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिला बैतूल़ में जिला पंचायत द्वारा गठित बी.पी.एल. स्व–सहायता समूहों को आधारभूत प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता पूर्ण कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण नीचे उल्लेखित ट्रेडस में दिए जाने के कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं से मुहरबन्द निविदा दिनांक 27 मई 2011 को दोपहर 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जिससे योजनान्तर्गत वास्तविक रूप से प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रभावी एवं सार्थक रूप से कार्यरत संस्थाओं का चयन किया जा सके।

1. नव गठित स्व–सहायता समूह का आधारभूत प्रशिक्षण।

2. प्रशिक्षण की ट्रेडस/अवधि का विवरण :– दुग्ध प्रासेसिंग सामग्री उत्पाद (एक माह), डेयरी व्यवसाय (तीन दिवस) , जैविक खाद निर्माण प्रशिक्षण (15 दिवस), पशु आहार निर्माण प्रशिक्षण (15 दिवस), सिलाई–कढाई प्रशिक्षण (दो माह), जूट सामग्री निर्माण प्रशिक्षण (एक माह), आर्टिफिशियल ज्वेलरी निर्माण प्रशिक्षण (एक माह), इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण (एक माह), मोटर बाईन्डिंग प्रशिक्षण (एक माह), हैण्डलूम कार्य (दरी बैडशीट टावेल टेबल क्लाथ निर्माण) प्रशिक्षण (एक माह), लाख के आभूषण चूडियां/कंगन आदि के निर्माण का प्रशिक्षण (एक माह), साफ्ट ट्वायज़ निर्माण प्रशिक्षण (एक माह), मिट्टी के खिलौने का निर्माण टेराकोटा प्रशिक्षण (एक माह), जूता–चप्पल निर्माण प्रशिक्षण (दो माह), लेदर गुडस बैग पर्स खिलौने आदि का निर्माण प्रशिक्षण (दो माह), स्टेशनरी पेड फाईल कवर लेस टेग आदि का प्रशिक्षण (एक माह), सेनेटरी पेड निर्माण प्रशिक्षण (एक माह), लेन्टाना फर्नीचर प्रशिक्षण (पंद्रह दिवस), पेपर मेसी प्रशिक्षण (पंद्रह दिवस), बांस शिल्प निर्माण प्रशिक्षण (पंद्रह दिवस), आदि का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाना है।

शर्ते :–

1. निविदा प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में जिला पंचायत कार्यालय से क्रय करना होंगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 13.05.2011 से 27.05.2011 को दोप. 1.30 बजे तक (अवकाश दिवस को छोड़कर) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगा।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1500/– रूपये होगा। जो वापसी योग्य नही होगा।
3. निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत करना होगी। प्रथम लिफाफे में संस्था की तकनीकी जानकारी का प्रपत्र–1 प्रस्तुत करना होगा तथा द्वितीय लिफाफे में वित्तीय ऑफर (प्रशिक्षण की दर) प्रपत्र–2 में प्रस्तुत करना होगा।

4. निविदाकार संस्था द्वारा प्रस्तुत तकनिकी आफर का प्रस्तुति करण संस्था द्वारा पॉवर पाईट प्रजेन्टेशन पर करना होगा, पॉवर पाईन्ट प्रजेन्टेशन में तकनिकी रूप से सक्षम पाये जाने पर ही संस्था का वित्तीय आफर खोला जावेगा।
5. प्रशिक्षण हेतु प्रतिप्रशिक्षणार्थी दरो का भुगतान एस.जी.एस.वाय. के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित राशि से अधिक भुगतान नही की जायेगा।
6. निविदा कार्यालय जिला पंचायत बैतूल में दिनांक 27.05.2011 को दोपहर 03.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी। इसके उपरांत प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त होने वाली निविदाओं को दिनांक 28.05.2011 को दोपहर 3.00 बजे जिला पंचायत के सभागृह में गठित समिति द्वारा तत्समय उपस्थित निविदा कारो के समक्ष खोला जावेगा।
7. तकनीकि ऑफर में सामान्य जानकारी के साथ आवश्यक प्रपत्रो की सूची/छाया प्रतियॉ संलग्न की जावें। वित्तीय आफर में प्रति प्रशिक्षणार्थि प्रशिक्षण दर पर उल्लेख किया जावे, जिसमें प्रशिक्षणार्थीयो के लिये कच्चे माल, आवास की व्यवस्था, भोजन चाय नास्ता तथा पठन सामग्री तथा यात्रा व्यय आदि का समावेश हो। इसी प्रस्तावित निविदा दर के अनुसार नियुनतम दार वाली संस्था का चयन किया जावेगा। प्रशिक्षण की अवधि निविदा में दर्शाय अनुसार ही रहेगी।
8. एक संस्था को अधिकतम दो गतिविधियो में ही प्रशिक्षण हेतु चयनीत किया जावेगा।
9. प्रत्येक गतिविधि के लिये अलग–अलग निविदा प्रपत्र भरना होगा।
10. निविदाकार संस्था विगत 03 वर्ष से म.प्र. में कार्यरत हो तथा संस्था का निरंतर जीवित पंजीयन कम से कम 05 वर्ष का होना आवश्यक है।
11. निविदाकार संस्था की विगत 03 वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट में टर्नओव्हर कम से कम रू. 05 लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक हैं।
12. निविदाकार संस्था द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/अन्य योजना के अंतर्गत कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण दिए जाने का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है।
13. निविदाकार संस्था के पास कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पर्याप्त तकनीकी एवं प्रबंधन स्टाफ होना आवश्यक है।
14. चयनीत निविदाकार संस्था को जिला पंचायत कार्यालय मे निर्धारित मूल्य के ज्यूडिश्यल स्टॉप पर प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व अनुबंध करना होगा।
15. निविदाकार संस्था को प्रशिक्षण उपरांत तैयार किये गये उत्पाद को क्रय तथा विपणन करने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए जिला पंचायत बैतूल में प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व अनुबंध के समय प्रतिभूति स्वरूप राशि रूपये 50,000/– का बैंक, एफ.डी. संस्था तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल के संयुक्त नाम से जारी किया गया जमा करना अनिवार्य होंगा। तैयार किये गये उत्पाद को विक्रय न कराने पर यह राशि राजसात कर की जा सकेगी।

16. चयनित संस्था को उत्तम गुणवंता का कच्चा माल समूहो को आवश्यकता अनुसार प्रदाय करना होंगा।
17. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
18. उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग/शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये नियमो का पालन किया जाना ही बाध्यकारी होगा।
19. निविदा कार्यालय की वेबसाईट **www.zpbetul.nic.in** पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बैतूल (म.प्र.)